एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (पीएमएस)

यह योजना व्यावसायिक, तकनीकी के साथ-साथ गैर-पेशेवर और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों को विभिन्न स्तरों पर कवर करती है जिसमें पत्राचार पाठ्यक्रम शामिल हैं जो दूरी और सतत शिक्षा को कवर करते हैं। यह योजना वर्ष 1944-45 के दौरान शुरू की गई थी और तब से इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। योजना का अंतिम संशोधन

म्ख्य विशेषताएं:

राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्र प्रायोजित योजना।

राज्यों सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के प्रतिबद्ध दायित्व के ऊपर और ऊपर 100% केंद्रीय सहायता। भारत सरकार से।

योजना अन्सूचित जनजाति के छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करती है जो पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट-सेकेंडरी चरण में पढ़ते हैं।

छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है।

राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश को आवेदक को वास्तव में छात्रवृति का पुरस्कार देना चाहिए।

इस योजना में बुक बैंक स्थापित करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

पात्रताः

उन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है जिनके माता-पिता / अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से रु। से अधिक नहीं है। 2.50 लाख प्रति वर्ष।

एक ही माता-पिता / अभिभावक के सभी बच्चे पात्र हैं। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे पात्र हैं।

मान्यता प्राप्त संस्थानों में सभी मान्यताप्राप्त पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं, कुछ विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि विमान रखरखाव इंजीनियर के पाठ्यक्रम, निजी पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम आदि।

पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र पात्र हैं। पूर्णकालिक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर नियोजित छात्र पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा नहीं रखेगा।

जिन छात्रों ने सरकार से वितीय सहायता के साथ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में से किसी में कोचिंग प्राप्त की है, वे पात्र नहीं होंगे।

लाभ:

नामांकन / पंजीकरण, ट्यूशन, गेम्स, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, मेडिकल परीक्षा के लिए शुल्क और इस तरह के अन्य शुल्क अनिवार्य रूप से विद्वान द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय / बोर्ड को देय। अध्ययन पर्यटन अधिकतम रु। 1600 / - प्रति वर्ष। थीसिस टाइपिंग और प्रिंटिंग शुल्क अधिकतम रु। 1600 / - अनुसंधान विद्वानों के लिए।

विकलांगता की विभिन्न डिग्री के लिए निर्धारित दरों पर विकलांग छात्रों के लिए एसटी छात्रों को अतिरिक्त भते।

पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति के अलावा, आवश्यक / निर्धारित पुस्तकों के लिए 1200 / - का वार्षिक भता।